(109)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1782-एक/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-5-2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पोरसा जिला मुरैना - प्रकरण कमांक 26/2010-11 अपील

देवप्रताप सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह
नावा.सरपरस्त पिता शिवकुमार सिंह
निवासी ग्राम टीकेतन का पुरा मौजा
नगरा तहसील पोरसा जिला मुरैना ---आवेदक

विरूद्ध

1- नरेश सिंह पुत्र नाथू सिंह
2- महेश सिंह पुत्र नाथू सिंह
ग्राम टीकेतन का पुरा मौजा नगरा
तहसील पोरसा जिला मुरैना --- अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 24 - 7-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पोरसा जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 26/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार पोरसा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगरा पोरसा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1029 रकबा 0.387 हैक्टर (बंदोवस्त के बाद नंबर 702 रकबा 0.39 हैक्टर) पर कब्जा अंकित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक 35/2009-10 बी-121 पर पंजीबद्ध किया

जाकर आदेश दिनॉक 20-9-2010 से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, पोरसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 26/2010-11 अपील पर पॅजीबद्ध हुई। अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी पोरसा ने इस आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 27-5-16 पारित किया तथा धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो निगरानी मेमो में अंकित किये गये है। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों पर विचार किया गया। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आवेदन में मांग की है कि इसी भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का विवाद प्रचलित है जिसके कारण राजस्व न्यायालय को कार्यवाही रोक देना चाहिये। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रतीत होता है कि तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 35/09-10 बी 121 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रस्तुत मूल दावे पर अधारित है जो नगरा पोरसा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1029 रकबा 0.387 हैक्टर (बंदोवस्त के वाद नंबर 702 रकबा 0.39 हैक्टर) पर कब्जा अंकित करने के सम्बन्ध में है । तहसील न्यायालय में यह दावा आदेश दिनांक 20-9-10 से निरस्त हुआ है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पोरसा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई है। विचार योग्य है कि माननीय व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का विवाद प्रचलित रहने के आधार पर संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत भू अभिलेख के सुधार की मांग पर सुनवाई की जा सकती है अथवा नहीं ? राजस्व न्यायालय में मामला मात्र खसरा अद्यतन एंव मौके की स्थिति के मान से रखने वावत् है

जिसके कारण वाद विचारित भूमि के स्वत्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । माननीय व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश होंगे, तद्नुसार पालन हेतु एंव राजस्व अभिलेख में अमल हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है किन्तु विचाराधीन मामला मात्र खसरा अद्यतन रखने एंव मौके की स्थिति अनुसार रखने का है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी पोरसा द्वारा प्रकरण कमांक 26/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-5-16 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी पोरसा जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 26/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर